



**U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD CPF TRUST.**

9<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928

14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

**उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सी०पी०एफ० ट्रस्ट,**

9<sup>वाँ</sup> तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - 928,

14 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्रांक : सचिव/उनिलि/सीपीएफ ट्रस्ट/1019

दिनांक : अक्टूबर 23, 2021

आर०के० तिवारी

मुख्य अभियन्ता 'प्रगति'

शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

**विषय:** सी०पी०एफ० एकाउन्ट में नियोक्ता द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि, समयवद्ध वेतनमान, पदोन्नति, एरियर राशि (वेतन आयोग एवं मंहगाई भत्ते) में दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं० 184-उनिलि/प्रगति/ई-1/ई-2/2021 दिनांक 22.09.2021 एव उद्योग पावर कारपोरेशन अंशदायी भवेष्य निधि ट्रस्ट के पत्र सं० 1250/14/अर०म०नि०ट्रस्ट/समान्य आदेश/01 दिनांक 08.10.2021 के क्रम में यह स्पष्ट कराना है कि निगम के सीपीएफ नियमावली के 2004 के नियम सं० 32(2) में निम्नवत उल्लेखित है :-

**32.0 CONTRIBUTION BY THE CORPORATION**

2) The contribution shall be 10% of the subscriber's emoluments drawn on duty during the year or period, as the case may be, as has been or may be prescribed by corporation by general or special order, however the percentage prescribed by Contributory Provident Fund of the Central Government would be taken as the basis for it.

कार्मिक के मूल वेतन का 10% नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में दिया जायेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि, समयवद्ध वेतनमान, पदोन्नति, एरियर राशि (वेतन आयोग एवं महगाई भत्ते) के सन्दर्भ में उदाहरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	विवरण	कर्मचारी अंशदान (रु०)	नियोक्ता अंशदान (रु०)
1.	वार्षिक वेतन वृद्धि, समयवद्ध वेतनमान एवं पदोन्नति के प्रकरण में यथा-(मूल वेतन+मंहगाई भत्ते का योग) = रु० 1000.00	(मूल वेतन+मंहगाई भत्ते के योग) का 10% देय होगा। = रु० 100.00	कर्मचारी अंशदान के समान देय होगा। = रु० 100.00
2.	वेतन आयोग एवं मंहगाई भत्ते के एरियर के प्रकरण में यथा-कुल एरियर = रु० 1000.00	एरियर के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार (कर्मचारी अंशदान देय यथा-कुल एरियर = रु० 1000.00 में कर्मचारी अंशदान का 10%= रु० 100.00 सम्मिलित है।)	कर्मचारी अंशदान के समान देय होगा। (मूल वेतन+मंहगाई भत्ते का 10%) = रु० 100.00



**U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD CPF TRUST.**

9<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928

14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

**उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सी०पी०एफ० ट्रस्ट,**

९वीं तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - 928,

14, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

निगम आदेश सं० सचिव/उनिनि/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बड़े हुये वेतन आयोग एवं महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में आंशिक भविष्य निधि से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में अवशेष धनराशि सी०पी०एफ० खातों में जमा की जायेगी और मूल वेतन+महंगाई भत्ते का 10% समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी०पी०एफ० मद में दी जायेगी। कार्मिक द्वारा स्वेच्छा से एरियर में आयकर की कटौती करवाने पर, कार्मिक अंशदान किसी भी दशा में कुल एरियर का 10% से कम नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त पत्र के निर्गत होने की दिनांक से पूर्व में सम्पादित किसी भी प्रकरण को पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा

(प्रदीप सोनी)

कम्पनी सचिव

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता अनपरा 'अ' व 'द' /ओबरा 'अ' 'बी' सी/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर पारीछा तापीय परियोजना, सोनभद्र।
2. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), मुख्यालय लखनऊ।
3. उप मुख्य लेखाधिकारी, अनपरा 'अ' व 'द' /ओबरा 'अ' 'बी' सी/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर पारीछा तापीय परियोजना, सोनभद्र।
4. अधिशासी अभियन्ता जल विद्युत संयंत्र खण्ड ओबरा।

(प्रदीप सोनी)

कम्पनी सचिव